(अ) विभाग को आवंटित कार्य

नीति संबंधी: -

1. शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम
2. राज्यपाल की उपलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार तथा अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार
3. राज्य के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति और त्यागपत्र की अधिसूचना जारी करना
4. राज्य के मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्ते
5. उच्च न्यायालय का गठन तथा संगठन
6. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति , त्यागपत्र आदि, उनके वेतन, अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार, पेंशन तथा भत्ते ।
7. राजस्व मण्डल- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ।
8. संघ लोक सेवा आयोग ।
9. राज्य लोक सेवा आयोग, निम्नलिखित से संबंधित मामले:-

   (एक) सेवा की शर्तें ।

   (दो) कृत्यों का परिसीमन ।
10. राज्य निर्वाचन आयोग ।
11. छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग से संबंधित कार्य:-

    (क) मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में उक्त अभिकरणों से प्राप्त शिकायतों के बारे में जाँच करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना तथा निम्नलिखित अधिकरणों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना -

    (1) भारत सरकार,

    (2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,

    (3) छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग,

(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम , 1993 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार से संबंधित कार्य ।

<u>राजनैतिक:-</u>

12. राजनैतिक क्रिया-कलाप ।

13. पाक्षिक प्रतिवेदन ।

14. कूट लेख और गूढ लेख (कोड्स एण्ड सायफर्स)

15. भारत-पाक सम्बन्ध ।

16. युद्ध और शांति ।

17. संयुक्त राष्ट्र संघ ।

18. भारत की प्रतिरक्षा ।

19. नव, स्थल, विमान बल ।

20. भारत में प्रवेश और प्रवास और उससे निष्कासन ।

21. विलीन रियासतों से संबंधित मामले, अर्थात्:-

(एक) एकीकरण करार ।

(दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी थैलियाँ, निजी सम्पत्ति और उनके परिवार के सदस्यों के भत्ते ।

(तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोहों के रूप में मनाये जानेवाले समारोह, और

(चार) विभागीय क्रियाकलापों का समन्वय ।

22. पारितोषिक और अलंकरण ।

23. राष्ट्रीय एकीकरण ।

24. भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ।

25. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से उद्भूत एकीकरण संबंधी विषय ।

26. क्षेत्रीय परिषद् ।

27. न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण ।

28. प्रादेशिक सेना ।

29. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच सम्बन्ध ।

30. सम्मेलन - संसद सदस्य, आयुक्त/कलेक्टर ।

31. जिला सलाहकार समितियाँ ।

32. राष्ट्रपति से वित्तीय सहायता से संबंधित मामले ।

33. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि ।

34. राज्य के दान/वित्तीय सहायता तथा अनुदान आदि ।

35. मंत्रियों की विवेकाधीन निधि/जनसम्पर्क दौरे ।

36. स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को पंेशन एवं राजनैतिक पेंशन ।

<u>सामान्य:-</u>

37. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गीत ।

38. राज्य चिन्ह ।

39. राष्ट्रीय त्योहार ।

40. राज्य के उत्सव और समारोह ।

41. शासकीय प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय कैलेण्डर ।

42. शासकीय पोशाक ।

43. पूर्वता-अधिपत्र ।

44. महत्त्वपूर्ण घटनाएँ ।

45. महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना-संदेश ।

46. उच्च पदस्थ व्यक्तियों का आगमन ।

47. राज्य अतिथि गृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य ।

48. छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली से सम्बन्धित विषय ।

49. भौगोलिक नामों में परिवर्तन ।

50. शासकीय भवनों का नामकरण ।

51. राजपत्र (असाधारण)।

52. अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री-सरकारी नीलामी ।

<u>नियुक्ति एवं सेवा संबंधी:-</u>

53. अखिल भारतीय सेवाएँ/भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा/राज्य सिविल सेवा (राज्य प्रशासनिक सेवा) के सेवा संबंधी कार्ययथा (नियुक्तियाँ, पदस्थापनाएँ, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियाँ, भविष्य-निधियाँ, अग्रिम, प्रतिनियुक्तियाँ, दण्ड तथा अभ्यावेदन)

(वित्त विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर)

54. सिविल सूची और सेवा वृत्त ।

55. नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण ।

56. वृत्ति संबंधी योजनाएँ बनाना (कैरियर प्लानिंग) ।

57. मंत्रालय -

(एक) अधिकारी तथा स्थापना ।

(दो) प्रशासनिक सुधार ।

(तीन) भवन ।

58. मंत्रालय में पदेन प्रस्थिति प्रदान करने का प्रस्ताव ।

59. मंत्रियों के निजी कर्मचारियों से संबंधित विषय ।

60. राज्य लोक सेवाएँ-सेवा शर्तों और उनके निर्वाचन के विशेष संवर्ग में सामान्य नियम और आदेश जारी करना ।

61. विभागों को उनके कृत्यों तथा विषय से सुसंगत समुचित कार्मिक नीतियाँ बनाने में सहायता देना ।

62. समन्वय के मामले (ंसेवा विषयों से संबंधित) ।

63. विभाग के परामर्श से विभिन्न सेवाओं के लिए भर्ती की नीति अवधारित करना ।

64. शासकीय सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए उनके चरित्र और पूर्ववत् तथा उपयुक्तता का सत्यापन करने के बारे में सामान्य नीति ।

65. श्रेणी (ग्रेड्स) वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसरों के संबंध में उनकी संलग्नता तथा संतुलन बनाये रखते हुए युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं को अवधारित करना ।

66. वेतन आयोग प्रकोष्ठ ।

67. यह सुनिश्चित करना कि विभागों में समुचित सेवा नियम , जिनमें पदों की अनुसूचियाँ भी सम्मिलित है , प्रारूपित तथा प्रवर्तित किए गए है ।

68. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो एवं महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण और शर्तो से संबंधित नीति।

69. सीधी भरती तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच पद प्रभाजन करने के लिए युक्तिसंगत तथा न्यायसंगत सिद्धांतों को विकसित करना।

70. पदक्रम सूचियाँ तैयार करने तथा प्रकाशित करने एवं अभ्यावेदनों के निपटारे के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण करना ।

71. यह सुनिश्चित करना कि विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें समय पर आयोजित की जाती हैं तथा प्रोन्नत व्यक्तियांे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे की पूर्ति उचित रूप से की जाती है।

72. इस बात का पर्यवेक्षण करना कि परिवीक्षा तथा स्थायीकरण से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

73. अन्तर्विभागीय सेवा के मामले, जैसे समता, प्रतिनियुक्ति या सेवाओं की मूल शर्ते आदि तय करना।

74. सामान्य स्वरूप तथा सभी पर लागू होने वाले सेवा के मामलों में विभागों की ओर से लोक सेवा आयोग से सम्पर्क स्थापित करना।

75. अधिवार्षिकी आयु प्राप्त अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाने या उनके पुनर्नियोजन के बारे में सामान्य नीति।

76. सिविल पदों पर व्यक्तियों की मानदेय नियुक्ति।

<u>प्रशिक्षण संबंधी:-</u>

77. शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति या विदेश में प्रतिनियुक्ति।

78. नव नियुक्तियों के लिए तथा साथ ही पुनश्चर्या तथा सेवा में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।

79. प्रशासन प्रशिक्षण- छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी से संबंधित विषय।

प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता संबंधी:-

80. प्रशासनिक सुधार-संगठन और कार्य पद्धति ।

81. कर्मचारी निरीक्षण इकाई ।

82. प्र्रशासकीय सतर्कता प्रकोष्ठ ।

83. लोक आयोग ।

84. ऐसे समस्त विभाग एवं उन विभागों के अधीन गठित संस्थाएँ , जो निर्माण कार्य कराते हैं , उनके द्वारा किए गए निर्माण एवं निर्माण पद्धतियों पर निगरानी ।

85. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित कार्य ।

86. सरकारी कर्मचारियों में सतर्कता और अनुशासन से संबंधित सभी नीति संबंधी विषय।

87. विशेष पुलिस स्थापना ।

88. जाँच आयोग ।

89. विभागीय जाँच आयुक्त ।

90. लोक सेवा गारंटी के क्रियान्वयन का अनुश्रवण।

कर्मचारी कल्याण संबंधी:-

91. अधिकारी/कर्मचारियों (सर्विस) संघों को मान्यता देना ।

92. संयुक्त परामर्शदायी तंत्र तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यथा निवारण के लिए तंत्र।

93. कर्मचारी कल्याण जिसमें खेलकूद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, कैंटीन, सहकारी भण्डार आदि सम्मिलित हैं ।

94. छुट्टियाँ।

विविध:-

विभागीय नीति से भिन्न सामान्य नीति संबंधी प्रश्न , जिसमें ऐसे अवशिष्ट विषय सम्मिलित हैं जो किसी अन्य सूची में न आए हों।